सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्रीमती शशि बंसल पत्नी श्री रमेश बंसल, सी–41, फेज–4, धर्म कॉटे के पीछे, झालाना डूंगरी, जयपुर–302004 (राज0)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी), दौसा

अपील सं0 04/2019

<u>निर्णय</u> दिनांक 11.02.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी), दौसा से दिनांक.04.1218 को सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी), दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी), दौसा द्वारा उनके पत्रांक चुनाव/आरटीआई/2019/157 दिनांक 04.02.19 से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा प्रार्थिया को उनके पत्रांक 17 दिनांक 08.01.2019 द्वारा आवेदक को निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु सूचित कर दिया गया। किंतु प्रार्थिया द्वारा शुल्क जमा नहीं करवाया गया। साथ ही प्रकरण निस्तारण करने का निवेदन किया गया। इस संबंध में प्रार्थीया की ओर से उनके भाई श्री राकेश कुमार वर्मा ने उपस्थित होकर एक प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया जाकर 35 दिन बाद शुल्क जमा कराने हेतु सूचित किया गया है, इसलिए निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाई जावें। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–7(6) ''उप धारा (5) में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी सूचना के लिये अनुरोध करने वाले व्यक्ति को वहाँ सूचना मुफ्त उपलब्ध कराई जायेगी जहाँ लोक प्राधिकारी उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट समय सीमा का पालन करने में विफल रहता है।'' हॉलाकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थीया को निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु सूचित किया गया है। किंतु उनके द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस निकल जाने के पश्चात प्रार्थीया को सूचित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया को निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी), दौसा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर निःशुल्क उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा